

539

15/12

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक:-प-14(25)जविप्रा/संस्था/05

दिनांक:- 18/12/09

: कार्यालय आदेश:

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना देने के काम में प्रार्थीगणों को संबंधित रिकार्ड जविप्रा में उपलब्ध नहीं है बाबत सूचित किया जाता है। इस प्रकार की स्थिति को आयोग द्वारा गम्भीर माना है। अतः इस प्रकार की स्थिति से बचने एवं रिकार्ड में संधारण में सुधार हेतु एक ठोस कार्य योजना तैयार करने हेतु निम्नानुसार एक कमेटी का गठन किया जाता है:-

1. सचिव, जविप्रा, अध्यक्ष
2. अति.आयुक्त(प्रशासन), जविप्रा, सदस्य
3. उप निदेशक(विधि) श्री भूपेन्द्र कुमार शर्मा, सदस्य

उक्त समिति एक सप्ताह में अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी। आयोग को बनाई जाने वाली कार्य योजना के संबंध में दिनांक 01.06.2009 को अवगत कराया जाना है।

अति.आयुक्त(प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक(विधि), जविप्रा, जयपुर।
4. अति.आयुक्त(प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
5. श्री भूपेन्द्र कुमार शर्मा, उप निदेशक(विधि), जविप्रा, जयपुर।
6. लेखाधिकारी(भुगतान), जविप्रा, जयपुर।
7. रक्षी पत्रवली।

उपायुक्त(प्रशासन)